न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 98/2023

प्रार्थीगण :– 1. जगाराम पुत्र जोधाराम जाति देवासी, निवासी मुंगडा, तह. पचपदरा
2.. मसरीदेवी पत्नी जोगाराम, जाति देवासी, निवासी ईन्द्राण तह सिवाना, जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सणगारी पत्नी जोधाराम, जाति देवासी निवासी मुंगडा
2. खूमाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी बालोतरा,
3. जेताराम पुत्र पन्नाराम
4. प्रभुराम पुत्र पन्नाराम
5. वाली पत्नी पन्नाराम सभी जातियान जाट निवासी अकदडा, तह0 व जिला बाडमेर।
6. नौ वहन सडक परिवहन एवं उच्च मार्ग (भू तल परिवहन) मंत्रालय भारत सरकार (एन.एच.ए.एल) जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर ए.एच.ए.एल पता 188, उम्मेद हैरीटेज, जोधपुर जिला जोधपुर
7. बाबूराम पुत्र प्रभुजी जाति राईका, निवासी पचपदरा, बाडमेर
8. मिश्राराम पुत्र खेताराम, जाति भील, निवासी पचपदरा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :–

1. श्री करणसिंह सोलंकी , प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 9 एक पक्षीय

<u>'आदेश'</u> दिनांक :– 05.06.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:26 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी[illegible] का [illegible]दारी का खेत सरहद ग्राम भांडियावास, पटवार हल्का मुंगडा, भू अभिलेख [illegible] क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1525/169 एवं क्षेत्रफल 1.2618 हैक्टेयर अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और आये

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 9 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 9 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1525 / 169 एवं क्षेत्रफल 1.2618 हैक्टेयर भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 9 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 9 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और प्राथीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माठो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1525 / 169 एवं क्षेत्रफल 1.2618 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे

हमने वकील प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1[illegible] एवं क्षेत्रफल 1.2618 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व [illegible] करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, औ[illegible]कार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:26 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भांडियावास, पटवार हल्का मूंगडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1525/169 एवं क्षेत्रफल 1.2618 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 9 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

आज दिनांक 05.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:26 IST
Reason: SelfAttested